

दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि हेतु माँयल लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी

(जीएमई) की जानकारी

माँयल लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी के तहत बीमा कवरेज दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के लिए नेशनल इंसुरेंस कंपनी द्वारा प्रदान किया जायेगा और पॉलिसी संख्या 281302502510000012

- (1) रोगी उपचार और सामान्य चिकित्सा उपचार सीमा में:
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों उनके पति/पत्नी और शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग आश्रित पुत्र/पुत्री के लिए कवरेज निम्नानुसार है:

पुरानी योजना					नई योजना	
क्र.सं.	श्रेणी	मूल राशि (रुपये लाख में)	सुपर टॉप-अप (रुपये लाख में)	कुल कवरेज (रु. लाख में)	संशोधन सुपर टॉप- अप	(रुपये लाख में)
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी (सी + एफ)
1	कामगार और एनई-01 से एनई-10	1.50	2.00	3.50	12.50	14.00
2	अधिकारी ई-0 से ई-5	3.00	3.00	6.00	17.00	20.00
3.	अधिकारी ई-6 से ई-9	4.50	4.50	9.50	25.50	30.00
4.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एवं निदेशक मंडल	4.50	8.00	12.50	45.50	50.00

- नए योजना विकल्प के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी माता-पिता के लिए बीमा की अतिरिक्त लागत का वहन करेंगे।
- पुरानी योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी को उपरोक्तानुसार मौजूदा बीमा के तहत कवरेज जारी रखा जायेगा।

(2) ओपीडी उपचार सीमा:

दिनांक 01.04.2024 से प्रभावी, आपोडी उपचार के तहत कवरेज निम्नानुसार है:

पुरानी योजना			नई योजना
क्र.सं.	श्रेणी	दवाओं का आहरण (रु.) वार्षिक सीमा	ओपीडी व्यय की प्रतिपूर्ति वार्षिक सीमा (रु.)
1.	कामगार और एनई-01 से एनई-10	48,000	72,000
2.	अधिकारी ई-0 से ई-9	48,000	90,000
3.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एवं निदेशक मंडल	48,000	90,000

पुरानी योजना के विकल्प का चुनाव करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी को मौजूदा प्रणाली के तहत दवाओं के लिए प्रति माह, प्रत्येक परिवार को रु. 4000.00 (चार हजार रुपये) तक मिलता रहेगा।

- नई योजना का चयन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी ओपीडी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए वार्षिक सीमा के तहत निम्नलिखित सूविधाओं अर्थात् 72,000 रुपये या 90,000 रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं।

(अ) डॉक्टर की फीस, परीक्षणों की लागत और दवाओं की लागत।

(ब) डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होने पर आवश्यकता अनुसार दो वर्ष में एक बार 15,000.00 रुपये तक की हियरिंग एड (कान की मशीन) और 5,000.00 रुपये तक का चश्मा ग्लास ।

(स) वर्ष में एक बार विशेषज्ञ द्वारा स्वास्थ्य जांच (MASTER HEALTH CHECK-UP)।

(3) एकमुश्त अंशदान:

दिनांक 01.04.2024 से प्रभावी, एकमुश्त योगदान निम्नानुसार है:

क्र.सं.	श्रेणी	राशि (रु. में)
(ए)	(बी)	(सी)
1.	कामगार और एनई-01 से एनई-10	6,000
2.	अधिकारी ई-0 से ई-5	20,000
3.	अधिकारी ई-6 से ई-9 तक	25,000
4.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एवं निदेशक मंडल	40,000

मौजूदा सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने अंशदान का पूर्व में ही भुगतान कर दिया है, उन्हें किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

Information on Group Medical Insurance Policy (GMI) for the Retired Employees of MOIL Limited for the period 01.04.2025 to 31.03.2026.

Insurance Coverage for Group Medical Insurance Policy for the Retired Employees of MOIL Limited is provided by NATIONAL INSURANCE COMPANY for the period 01.04.2025 to 31.03.2026 and policy number is 281302502510000012.

(I) In patient treatment & general medical treatment limit;

The coverage for the Retired employees, their Spouse and physically/ mentally challenged dependent Son / Daughter(s) is as under:

Old Scheme					New Scheme	
Sl. No.	Category	Basic Sum (Rs. In Lakh)	Super Top-Up (Rs. in Lakh)	Total coverages (Rs. in Lakh)	Revised Super Top-Up	(Rs. in Lakh)
A	B	C	D	E	F	G (C+F)
1	PRW & NE-01 to NE-10	1.50	2.00	3.50	12.50	14.00
2.	Exe. E-0 to E-5	3.00	3.00	6.00	17.00	20.00
3.	Exe -E-6 to E-9	4.50	5.00	9.50	25.50	30.00
4.	CMD & Directors	4.50	8.00	12.50	45.50	50.00

- Retired employees need to bear the additional cost of insurance for parent, if opted for, under the New Scheme.
- Retired employees opting for old scheme, shall continued to be covered under the existing insurance coverage, mentioned as above, under the Old Scheme.

(II) Outpatient Treatment Limit;

(a) The coverage w.e.f. 01.04.2024 under OPD treatment is as under;

Old Scheme			New Scheme
Sl. No.	Category	Drawl of Medicines (Rs) Annual Limit	Re-imbursement of OPD Expenditure Annual Limit (Rs.)
1	PRW & NE-01 to NE-10	48,000	72,000
2.	Exe. E-0 to E-9	48,000	90,000
3.	CMD & Directors	48,000	90,000

- Retired employees opting for Old Scheme, shall continue to draw medicines under the existing system i.e., Rs. 4,000.00 (Rs. Four Thousand Only) per month, per family.

- Retired employees opting for New Scheme can avail following facilities under their annual limit towards Re-imbursement of OPD Expenditure i.e., Rs. 72,000 or Rs. 90,000:

- (a) Doctor's Fees, Cost of Tests and Cost of Medicines.
- (b) Hearing Aid up to Rs. 15,000.00 and spectacle glass up to Rs. 5,000.00 once in two years, if required on certification by Doctors.
- (c) Master Health Check-up once in a year.

(III) One-time Contribution;

w.e.f. 01.04.2024, the one-time contribution is as under;

Sl. No.	Category	Amount (Rs.)
(A)	(B)	(C)
1	PRW & NE-01 to NE-10	6,000
2.	Exe. E-0 to E5	20,000
3.	Exe.-E6 to E9	25,000
4.	CMD & Directors	40,000

Existing retired Employees who have already paid the one-time contribution, need not to pay any amount.